

आदेश

दिनांक-25.07.2022 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के निम्नलिखित आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कारणों से लंबित रखा गया है :-

क्र० सं०	आश्रित का नाम/मृतक से संबंध	मृतक का नाम/पदनाम/पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	आलोक कुमार/पुत्र	स्व० शंकर प्रसाद यादव/पु०अ०नि०/पटना	लंबित 1. कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में नहीं है। 3. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो नोटरी से अभिप्रमाणित है।
2	चंदन कुमार/पुत्र	स्व० ओम प्रकाश सिंह/पु०अ०नि०/कैमूर (भभुआ)	लंबित 1. अनुकंपा समिति का वृत्त नहीं है। 2. विहित प्रपत्र संलग्न नहीं है। 3. मृत्यु प्रमाण पत्र, भरण पोषण संबंधित शपथ पत्र, पुजा कुमारी, सोनम कुमारी (बहन), कुन्दर कुमार, पिता स्व० ओम प्रकाश सिंह एवं मधु सिंह, पति स्व० ओम प्रकाश सिंह का सहमति शपथ पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र एवं बी०टेक० का शैक्षणिक प्रमाण पत्र छायाप्रति है, जो अभिप्रमाणित नहीं है। 4. आवेदक का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 5. कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
3	निशांत संदीप/पुत्र	स्व० सीमा वर्मा/लिपिक/गया	लंबित अनुकंपा समिति का वृत्त प्राप्त नहीं है।
4	अनिल कुमार/पुत्र	स्व० विजय रजक/स०अ०नि०/मुजफ्फरपुर	लंबित आवेदक का अनियोजन प्रमाण-पत्र नहीं है।
5	सायमा खातुन/पुत्री	स्व० सैफुद्दीन खान/हवलदार/सिवान	लंबित 1. अनुकंपा समिति का वृत्त प्राप्त नहीं है। 2. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है। 3. अनियोजन प्रमाण पत्र में मृतक के सभी आश्रितों का जिक्र नहीं है। 4. आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 5. मृतक के छोटी पुत्री अर्शी खातुन का अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

6	साहिल कृष्णन /पुत्र	स्व० जयशंकर प्रसाद यादव/पु०नि०/ अररिया	लंबित 1. अनुकंपा समिति का वृत प्राप्त नहीं है। 2. विहित प्रपत्र पर नियंत्रण पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का मुहरांकन नहीं है। 3. अनियोजन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। 4. एम०ए० का प्रमाण-पत्र छायाप्रति है जो अभिप्रमाणित नहीं है।
7	राहुल कुमार/ पुत्र	स्व० अशोक कुमार यादव सिपाही-70 /शेखपुरा	लंबित 1. पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा की अध्यक्षता में गठित अनुकंपा समिति की अनुशंसा का वृत अप्राप्त है। 2. विहित प्रपत्र संलग्न नहीं है। 3. अनियोजन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची, मृतक के सभी आश्रितों का सहमति शपथ पत्र, आवेदक का आश्रितों के भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है एवं अन्य प्रमाण पत्र छायाप्रति है, जो अभिप्रमाणित नहीं है। 4. कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
8	राजू कुमार दीपक/पुत्र	स्व० सूर्यदेव कुमार/पु०उपा०/ बि०वि०स०पु०-14, पटना	लंबित 1. कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। 2. विहित प्रपत्र एवं पारिवारिक सूची में अन्य आश्रितों का जिक्र नहीं है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्र संख्या:-पी०-4/43-38-200-2021/.....204.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 02.09.2022

प्रतिलिपि :-

- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/गया/मुजफ्फरपुर/पुलिस अधीक्षक, कैमुर/सिवान/अररिया/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- समादेश्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदकों के प्रस्ताव से संबंधित त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।